001

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक ८३२/५४७/१/८०   भोपाल दिनांक १६, फरवरी ८१

प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष, मध्य प्रदेश

विषय — कब्रस्तानों पर से अतिक्रमण ।

राज्य शासन की अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही है कि राज्य में स्थित कब्रस्तानों पर असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नही की जाती । अधिकाश कब्रस्तान ऐसे है जो शासकीय भूमि पर स्थित है जिन को इस उद्देश्य के लिये व तरे बन्दोबस्त अधिकारी निस्तार अधिकारी या कलेक्टरों ने सुरक्षित किया था यदि ऐसी भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो तहसीलदार भू-राजस्व संहिता, १९५९ को धारा २४८ के अन्तर्गत अतिक्रमण का प्रकरण, प्रकरण प्रारम्भ कर विधिवत जांच के बाद अतिक्रमणकर्ता को बेदखल तथा दंडित कर सकते हैं ।

कृपया तहसीलदारों को निर्देश दें कि वह तुरन्त पटवारियों को तहसील मुख्यालय पर अगली माहना हाजरी के समय राजस्व खसरों की जांच कर ऊपर बतलाये कब्रस्तानों के समस्त अतिक्रमणों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर तहसीलदारों को दें जो प्रकरणों को पंजीयत करने तथा शीघ्रता पूर्वक कार्यवाही कर अतिक्रमणकर्त्ताओं को नियमानुसार बेदखल करें।

यह भी निर्देश दे कि गिरदावरी में समस्त राजस्व निरिक्षक कब्रस्तान की भूमि के संबंध में जांच करें कि उनपर अतिक्रमण तो नही है और यदि यह पाया जाये कि पटवारियो ने इस अतिक्रमण को छुपाया है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ।

इस कार्य को १५-३-८१ तक निपटाया जाकर संलग्न प्रपत्र में जानकारी ३०-४-८१ तक इस विभाग को भेजी जावें। इन प्रकरणों का निपटारा और बेदखलों को कार्यवाही करने के बाद संलग्न प्रपत्र के खाना क्रमांक ८ में जानकारी इस विभाग को भेजी जावें ।

इस ज्ञापन को अभिस्वीकृति भेजने का कष्ट करें ।

आर० एस० भट्ट
उपसचिव
म० प्र० शासन, सा० प्र० विभाग